क्रम-संख्या—280 (ङ)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2001

आश्विन 20, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 6/12-73-का –2–2001

लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०–36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1—पत्नी या पति, 2—पुत्र, 3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।	(ग) ''कुटुम्ब'' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :- 1—पत्नी या पति, 2—पुत्र, 3—अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां, 4—मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

नियम-5 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।''

4—जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
डा० हरिकृष्ण,
सचिव।

कि०प्र०कृ०पी०-यू० पी० 500 राजपत्र (हिन्दी)—2001—(1281)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
23-10-2001 (1282) 8,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12-73–का–2–2001

लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2001

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छठां संशोधन) नियमावली, 2001 (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4—सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

6—सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र० इलाहाबाद।

7—निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक अकादमी, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

पी० एन० यादव,

संयुक्त सचिव।

रजि.न.एल.डब्ल./एम.पी.-890,
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू पी0—4,
लाइसेन्स टु पोस्ट एंड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 1999

पौष 30, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 6/12/73—का0-2-1999

लखनऊ, 20 जनवरी, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0—27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1999 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है यदि ऐसा व्यक्ति :—	5—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति :—
(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :
परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73-का0-2-1994

लखनऊ, 21 अप्रैल, 1994

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :--

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:--

	स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती	5--(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :--	मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती 5--(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में, ऐसे पद को छोड़कर, किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति :--
	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो,	(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,
	(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो, और	(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :	(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :
	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत

स्तम्भ–1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।	समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।	(2) ऐसा सेवायोजन, यथासंभव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।

आज्ञा से,
आर0 बी0 भास्कर,
सचिव ।

संख्या 6/12/73–का0-2-94 (1) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1––समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2––सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3––सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4––निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ ।
5––आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6––निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7––समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव ।
8––सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9––सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,
डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी,
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 6/12/73–का0–2/93

लखनऊ, 16 अप्रैल, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है --

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-5 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

स्तम्भ-1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो । ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था ।	**मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती** 5--(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्ति :-- (एक) पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो, (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिए अर्ह हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है :

स्तम्भ--1	स्तम्भ--2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्टि मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
	(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

संख्या: 6/12-1973(1)का०-2-93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ० प्र०
2--सचिव, श्री राज्यपाल, उ० प्र०।
3--सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद।
4--निबन्धक, उच्च न्यायालय, उ० प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ।
5--आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ० प्र०, लखनऊ।
6--निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०, लखनऊ।
7--समस्त सलाहकारों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
10--समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

आज्ञा से,
डा० जी० डी० माहेश्वरी
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या: 6/12/1973-कार्मिक-2
लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 1991.

12 अगस्त

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-3 का प्रतिस्थापन -

2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-3 के स्थान पर, नीचे स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात--

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 तत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियमावली का लागू किया जाना 3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते है, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।	नियमावली का लागू किया जाना 3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू

...2...

नियम-8 का संशोधन

3- उक्त नियमावली के नियम 8 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्---

"(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी: परन्तु यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

आज्ञा से,

(ओ०पी०आर्य)
सचिव।

संख्या: 6/12/1973(1)/ला०वि०-2(एस)/77

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
5- आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जय दयाल पुरी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 4/7/1979-कार्मिक-2
लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली 1981 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम 5-क का बढ़ाया जाना।

2- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 5 के उपरान्त निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा :

"5-क- नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के ऐसे बाइस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।"

मई, 1973 में मृत पुलिस/पी0ए0सी0 कार्मिकों के आश्रितों को तदनुरूप की भर्ती

आज्ञा से,

(मोहन चन्द्र जोशी)
सचिव।

संख्या 4/7/1979-III/कार्मिक-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यपालाध्यक्ष, उ0 प्र0

2- महानिरीक्षक, पुलिस/पी०ए०सी०उ० प्र० लखनऊ ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
5- राज्यपाल के सचिव, उ० प्र० ।
6- मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव ।

आज्ञा से,

मोहन चन्द्र जोशी
सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 6/12-1973—नियुक्ति–4,

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1974

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तद्वर्य समस्त अन्य सक्षम शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं ::—

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था : या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था : या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में किसी रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण:—"नियमित रूप से नियुक्त" का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है,

(ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी [illegible] में रहते हुए हो जाय,

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

(1) पत्नी या पति,

(2) पुत्र,

(3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

(घ) "कार्यालय का प्रधान" का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

नियमावली का लागू किया जाना

3—यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

इस नियमावली का अधारोही प्रभाव

4—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती

5—यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सदस्य उस पद के लिये निर्धारित आयु से अधिक न रहता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी सामान्यतः सम्बन्धित और यथासाध्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

सेवायोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु

6—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा, किन्तु वह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:—

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था,

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और,

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों

7—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषता उसके विधवा तथा अवस्यक सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता

8—(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) चयन के लिये प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान

9—किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार सगुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।

(ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

10—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।